

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक:- 64/2016 नि०फौ०

संस्थित दिनांक 26-02-2016

स्वास्तिक रोड लायन्स प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी लिमिटेड 19ए 415 पार्किंग नम्बर 6 ट्रांसपोर्ट नगर, ग्वालियर 474010 म.प्र.।

द्वारा:- श्यामसुन्दर पुत्र कमलेश शर्मा उम्र 28 वर्ष, निवासी द्वारिका पुरी ग्वालियर, सुपरवाईजर स्वास्तिक रोड लायन्स प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी लिमिटेड 19ए 415 पार्किंग नम्बर 6 ट्रांसपोर्ट नगर, ग्वालियर 474010 म.प्र.।

-----निगरानीकर्ता

बनाम

पुलिस थाना गोहद चौराहा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०।

-----प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानीकर्ता द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

गैरनिगरानीकर्ता राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए.जी.पी

//आ दे श//

//आज दिनांक 08.03.2016 को पारित किया गया//

01. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 397 जा.फौ. का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें कि निगरानीकर्ता के द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी श्री केशवसिंह के न्यायालय के प्र०क्र० 28/2016 ई०फौ० शा०पु० गोहद चौराहा वि० रिन्कू उर्फ करतारसिंह में पारित आदेश दिनांक 22.01.2016 से व्यथित होकर पेश की गई है। जिसमें कि निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 451 जा.फौ. निरस्त किया गया है।

02. वर्तमान निगरानी के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि निगरानीकर्ता/आवेदक के द्वारा स्वास्तिक रोड लायन्स प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी लिमिटेड 19ए 415 पार्किंग नम्बर 6 ट्रांसपोर्ट नगर ग्वालियर 474010 म.प्र. के आधिपत्य कंटेनर क्रमांक आर. जे. 11 जी.ए. 2063 को पुलिस गोहद चौराहा द्वारा अप0कं0 10/16 धारा 279, 337, 338 भा0दं0स0 के अंतर्गत जप्त कर लिया है। उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर लेने हेतु प्रस्तुत प्रथम आवेदनपत्र आवेदक के द्वारा चालान पेश न होने से एवं चालक की जमानत पर होने से नोटप्रेस कर खारिज लिया था। उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर लेने हेतु प्रस्तुत द्वितीय आवेदनपत्र अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। वाहन थाने पर खुले स्थान पर रखा है जिसकी देखभाल के अभाव में खराब होने की संभावना है।

03. निगरानीकर्ता के द्वारा वर्तमान निगरानी मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई दस्तावेजी साक्ष्य पर सही विवेचन न कर आलोच्य आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवेदनपत्र का विधिवत सही ढंग से अवलोकन न करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है। निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2016 को आपस्त किये जाने का निवेदन किया है।

04. प्रतिनिगरानीकर्ता ने विचारण न्यायालय के आदेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें कोई हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कारण न होना बताते हुए निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया है।

05. उपरोक्त निगरानी के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह हो जाता है कि—

क्या विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 22.01.2016 वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किये जाने योग्य है?

//निष्कर्ष के आधार//

06. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया, अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश का भी अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय के प्रश्नाधीन वाहन क्रमांक आर.जे. 11 जी.ए. 2063 जो कि थाना गोहद चौराहा के उपरोक्त अपराध में जप्त है और वाहन से संबंधित दस्तावेज मौजूद होना पाया है, किन्तु इस आधार पर आवेदनपत्र निरस्त किया गया है कि स्वास्तिक रोड लाइन्स कम्पनी जिसके स्वामित्व का उक्त वाहन होना बताया जा रहा है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव जैन होना

प्रमाणित नहीं पाया गया है और इस परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा दी गई पॉवर ऑफ ऑटर्नी श्यामसुंदर शर्मा को भी कोई अधिकार प्राप्त न होना पाते हुए सुपुर्दगीनामा पर दिए जाने बावत् आवेदनपत्र निरस्त किया गया है।

07. आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि स्वास्तिक रोड लाइन्स प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी, कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित की गई कम्पनी है। उक्त कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओर से मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव जैन को न्यायालय की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है और उससे शक्तियों को डेलीगेट करने हेतु भी अधिकृत किया गया है। वर्तमान आवेदक श्यामसुन्दर शर्मा के पक्ष में पॉवर ऑफ ऑटर्नी दिनांक 14 जनवरी, 2016 को प्रश्नाधीन वाहन की सुपुर्दगी एवं न्यायालय की कार्यवाही के संबंध में अधिकृत करते हुए जारी किया गया है जो कि एक वर्ष की अवधि हेतु वैध होना दर्शाया गया है। उक्त पॉवर ऑफ ऑटर्नी विधिवत निष्पादित की जानी दर्शित होती है। ऐसी दशा में जबकि गौरव जैन कम्पनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी है और कम्पनी की ओर से उसे अधिकृत किये जाने के संबंध में प्रार्थमिक रूप से दर्शित होता है। उसके द्वारा वाहन के संबंध में पॉवर ऑफ ऑटर्नी असत्य रूप से निष्पादित की जानी प्रार्थमिक रूप से दर्शित भी नहीं होती है। इस परिप्रेक्ष्य में जबकि वाहन दिनांक 18.01.2016 से जप्त होकर थाने में खड़ा है। वाहन अधिक दिन तक खड़ा रहने से खराब व नष्ट हो सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई वि0 स्टेट ऑफ गुजरात 2002 ए.आई. आर. एस.सी.डब्ल्यू 5301 उल्लेखनीय है जिसमें कि वाहन सुपुर्दगीनामा पर दिए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं।

08. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि जप्तशुदा वाहन स्वास्तिक रोड लाइन्स के नाम पर पंजीबद्ध है और उस वाहन से संबंधित रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र वैध होना प्रतीत होता है तथा इसके अतिरिक्त वाहन का परिमिट, फिटिनेश और बीमा भी मौजूद होना पाया गया है। आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता पॉवर ऑफ ऑटर्नी होल्डर है जिसकी पहचान उसके अधिवक्ता के द्वारा की गई है।

09. उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2016 को वैधानिक रूप से उचित होना न पाते हुए उसे अपास्त करते हुए। उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर लेने हेतु कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से अधिकृत व्यक्ति श्याम सुन्दर शर्मा के द्वारा 1,00,000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं 7,00,000/- रूपए का सुपुर्दगीनामा इन शर्तों के अधीन पेश हो कि वाहन के रंग रोजन में परिवर्तन नहीं करेगा, वाहन को अनयत्र विक्रय नहीं करेगा तथा जब भी आवश्यक होगा उसे न्यायालय में पेश करेगा। तो उसे सुपुर्दगीनामा पर प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाना उचित होगा।

10. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय के बुलाए गए सभी अभिलेख वापिस हो।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)